

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

प्रेस विज्ञप्ती (83/25, दिनांक 22.12.2025)

## \* वन्यजीव बाघ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करने वाली महिला आरोपी यांगचेन लाचुंगपा निवासी सिक्किम की प्रथम जमानत याचिका माननीय प्रथम अपर सेशन न्यायालय नर्मदापुरम मध्यप्रदेश से निरस्त\*

माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के निर्देशन में प्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु लगातार समग्र प्रयास किये जा रहे हैं। इस दिशा में कार्यवाही करते हुए स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्यप्रदेश एवं वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली ने 10 साल से वांछित, अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर यांगचेन लाचुंगपा को, अंततः दिनांक 02.12.2025 को भारत-चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास लाचुंग, मंगन, जिला उत्तर सिक्किम (सिक्किम) में कई महीनों की कड़ी मेहनत के उपरांत सफलता पूर्वक कार्यवाही करते हुये गिरफ्तार किया गया था।

जुलाई 2015 में सतपुडा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम में बाघ एवं पेंगोलिन के अवैध शिकार और बाघ की हड्डियों व पेंगोलिन के स्केल की नेपाल के रास्ते चीन में अवैध तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध प्रकरण 14198/03 दिनांक 13-07-2015 दर्ज किया गया था जिसमें यांगचेन लाचुंगपा वांछित थी। प्रकरण की गंभीरता के कारण वन मुख्यालय ने इसे स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) को विवेचना हेतु सौंप दिया गया। एसटीएसएफ ने एक संगठित एवं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया जिसमें अभी तक कुल 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यांगचेन लाचुंगपा अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्करी गिरोह की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जिसका नेटवर्क भारत, भूटान, और चीन तक फैला हुआ है।

यांगचेन लाचुंगपा के गिरोह के कई देशों में फैले नेटवर्क को देखते हुए भारत सरकार के अनुरोध पर **इंटरपोल के द्वारा यांगचेन लाचुंगपा के विरूद्ध रेड नोटिस भी जारी** किया गया है यांगचेन लाचुंगपा मूल रूप से चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत की निवासी है एवं भारत में मुख्यता: दिल्ली एवं सिक्किम राज्यों में रही/रहती है। यांगचेन के सर्व प्रथम वर्ष सितम्बर 2017 में भी पकड़ा कर ट्रांजिट रिमांड हेतु पेश किया गया था परन्तु न्यायालय से अंतरित जमानत मिलने के बाद फरार हो गई, उसकी अग्रिम जमानत को मध्यप्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने भी वर्ष 2019 में खारिज कर दिया था।

प्रकरण में शामिल आरोपी यांगचेन लाचुंगपा द्वारा माननीय प्रथम अपर सेशन न्यायालय नर्मदापुरम मध्यप्रदेश में प्रथम जमानत याचिका BA-331/2025 दायर की जिसे माननीय अपर सेशन न्यायालय नर्मदापुरम द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल द्वारा की गई सटिक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो व आरोपी की वन्यप्राणियों के तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से संबंधित होकर अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील प्रकृति के आधार पर निरस्त की गई। यह वही प्रकरण है जिसमें शिकारियों, कूरियर, बिचौलिये और तस्करों सहित 31 व्यक्तियों के पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया जा चुका है, पूर्व में गिरफ्तार सभी आरोपियों को सजा भी हो चुकी है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी  
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)  
(कक्ष- एसटीएसएफ)  
मध्यप्रदेश, भोपाल